


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.10.2023	<p style="text-align: center;">न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर अपील संख्या- 119/2022 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट (GCMS No. 2022/151)</p> <p>अनवान:</p> <p>1. ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनाराम जाति मेघवाल निवासी माण्डेली तहसील नागौर जिला नागौर। अपीलांट</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1. खेताराम पुत्र श्री शेराराम जाति नायक निवासी एम एन अस्पताल के पीछे, नायकों का मौहल्ला, हनुमान हत्था, बीकानेर तहसील व जिला बीकानेर। 2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व बज्जू। रेस्पोंडेंट्स</p> <hr/> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनुवानी अपील में पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। अपीलांट अपनी अपील को अब आगे चलाना नहीं चाहता एवं जरिये विद्दो खारिज करवाना चाहता है। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील जरिये विद्दो खारिज फरमाई जावे।</p> <p>हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील उपखण्ड अधिकारी बज्जू के आदेश दिनांक 29.07.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं जरिये विद्दो खारिज करवाना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट जरिये विद्वावल (withdrawal) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(वन्दना सिंघवी) संभागीय आयुक्त, बीकानेर</p>	 <p style="text-align: right;">ओमप्रकाश गुडराम के</p> <p style="text-align: right;">also objection - के</p>